125

232

निग0-4978/2018/रीवा/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

कोर्ट फी 5 रु. / 5 रु. / 20 रु. — विलोपित / विलोपित / विलोपित

दिलीप कुमार मिश्र उम्र 54 वर्ष तनय स्व0 श्री वाला प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम बेलहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 हाल पता लिपिक शासकीय संजय गांधी महाविद्यालय सीधी (म0प्र0) ---आवेदक

विरुद्ध

1. रामकिशोर तनय रामसजीवन ब्राम्हण निवासी ग्राम गोंदहा (बीड़ा) तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)
2. म0प्र0 राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) ---अनावेदकगण

अधि0 श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा पेश। 14-8-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 दिनांक 08.05.18 जो प्रकरण कमांक 57/अ-12/2017-18 मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ प्राधिकारी की सम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश दिनांक 08.05.18 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।
2. धारा 129 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के अधीन अपेक्षित न तो विहित प्रकिया का पालन किया गया न आवेदक को सीमांकन की सूचना दी गई

125

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.4978 / 2018 जिला–रीवा

दिलीप कुमार / रामकिशोर ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त शाहपुर, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 57 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	